न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 876–I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.04.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक अपील 490/अ–13/2011–12.

अरूण कुमार, आनंद मोहन
पुत्रगण स्व. श्री महावीर प्रसाद वैध
निवासी वैध गली टीकमगढ़ म0प्र0 ..... आवेदकगण

**विरूद्ध**

1. अवधेश कुमार 2. राकेश कुमार 3. मनोज कुमार
पुत्रगणस्व. श्री बालमुकुंद पस्तोर
निवासी ग्राम गनेश गंज तहसील व
जिला टीकमगढ़ ..... अनावेदकगण

श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री अशोक अग्रवाल एवं श्री संजय गुप्ता, अधिवक्तागण अनावेदकगण.

आदेश

( आज दिनांक 03/08/2015 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक अपील 490/अ–13/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–04–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वे ग्राम गनेशगंज स्थित भूमि खसरा नं. 565, 617, 573, 574 के भूमिस्वामी हैं तथा अनावेदकगण भूमि सर्वे नं. 548, 549, 550 के भूमिस्वामी हैं । अनावेदकों की भूमि सेरूढिगत रास्ता है जिसका उपयोग वे तथा अन्य कृषक कई वर्षों से

करते आ रहे हैं किंतु यह रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अनावेदकगण विवाद करते हैं । आवेदकों को अपने खेतों को जाने का रास्ता नहीं है अतः अनावेदकों के सर्वे नंबरों में से 25 फुट का रास्ता नक्शे में दर्ज किया जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही उपरांत अनावेदकों का आवेदन अमान्य किया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकों ने अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 30.1.12 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के पूरी तरह विपरीत है उन्होंने मनमाने तरीके से नये रास्ते का सृजन किया है जो रास्ता अनावेदकों द्वारा चाहा गया है वहां से कभी भी रास्ता नहीं रहा । ना ही नक्शा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । रूढ़िगत रास्ता अलग है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान अभिलेख में संलग्न पटवारी के प्रतिवेदन एवं तहसीलदार के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदकों द्वारा द्वितीय अपील में अपर आयुक्त के यहां श्रीमती नीरज पत्नि रविंद्र अध्वर्यु को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार थी । इस कारण द्वितीय अपील प्रकरण में कुसंयोजन के दोष के कारण निरस्ती योग्य थी इस बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर त्रुटि की है । श्रीमती नीरज पत्नि रविंद्र अध्वर्यु द्वारा उपस्थित होकर खसरा नं. 544/1 से रास्ता होना बताया गया है इस बिंदु पर भी अपर आयुक्त ने विचार नहीं किया है ।

3/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदकों की भूमि से ही अनावेदकों का रूढ़िगत रास्ता है । प्रकरण में मौके के जांच प्रतिवेदन जो पटवारी व तहसीलदार के हैं, उनके द्वारा अनावेदकों के खेत पर जाकर स्थल निरीक्षण नहीं किया है । निगरानीकर्ता द्वारा बताया जा रहा वैकल्पिक रास्ता कौनसा है व किन सर्वे नंबर से होकर अनावेदक

अपने खेतों पर पहुंचता है । इसका कोई उल्लेख उनकी रिर्पोट में नहीं है । अतः स्थल निरीक्षण रिर्पोट मानने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त कर रास्ता खोलने का जो आदेश दिया है वह विधिसम्मत है ।

यह तर्क दिया गया है कि स्थल निरीक्षण में लक्ष्मण तनय भदुआ अहिरवार द्वारा बताया है कि 40 वर्ष पूर्व रास्ता था और वह उक्त रास्ते का उपयोग करता था इससे रूढ़िगत रास्ता सिद्ध है । रूढ़िगत रास्ते के लिए लंबे समय से रास्ते का उपयोग रूढ़िगत रास्ता रखने योग्य होता है जिसका वाजिव उल अर्ज में जो धारा 242 संहिता के अंतर्गत4 बनाए गए नक्शे में नहीं होता है । रास्ते को खुलवाए जाने व कृषकों को अपनी खेती में जाने का रास्ता दिलवाए जाने का अधिकार तहसीलदार को है जिसकी व्याख्या अधीनस्थ न्यायालय ने की है । अनावेदकों को जो रास्ता अपर आयुक्त ने दिया है, उसके अतिरिक्त कोईी रास्ता नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमती नीरज को पक्षकार न बनाए जाने का असंयोजन का दोष मानकर निर्णय पारित किया था जोकि उचित नहीं था रिकार्ड से ज्ञात होगा कि कभी भी श्रीमती नीरज द्वारा अपने हस्ताक्षर से कोई आवेदन पेश नहीं किया है और न ही उसने कोई रास्ता संबंधी प्रश्न को न होना व्यक्त किया है बल्कि उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भी रास्ते की मांग की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि निगरानीकर्ता का यह तर्क भी गलत है कि कृषक मुख्य सड़क पर आने की मांग नहीं कर सकता है । अनावेदक अपनी खेती पर जाने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण रास्ता की मांग कर रहे हैं । इस संबंध में उनके द्वारा 97 आर.एन. 390 एवं 89 आर.एन. 340 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण अनावेदकों द्वारा विचारण न्याालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में अनावेदकों द्वारा आवेदकों की भूमि से 25 फुट चौड़ा रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने का अनुरोध किया गया । जिस पर से विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते हुए अनावेदकों का आवेदन निरस्त किया गया, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की । अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के

आदेश निरस्त कर आवेदकों की भूमि से अनावेदकों को आने जाने के लिए रूढ़िगत रास्ता दिए जाने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । क्योंकि विचारण न्यायालय में जो साक्ष्य उपलब्ध है उससे स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा चाहा गया रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं है । विचारण न्यायालय ने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से विधिवत जांच कराई गई है तथा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से रिर्पोट मंगाई गई तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया है । स्थल निरीक्षण रिर्पोट एवं पटवारी रिर्पोट से स्पष्ट है कि आवेदकों की भूमियां तार फैंसिंग से घिरी हैं तथा मार्ग के दोनों ओर नगर पालिका टीकमगढ़ द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व 3 फीट उंची दीवाल बनाकर उस पर तारफैंसिंग की हुई है । अनावेदकों द्वारा जहां से रास्ता चाहा जाना बताया गया है उस जगह मौके पर कोई भी रास्ता नहीं पाया गया विचारण न्यायालय ने स्थल निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 9–7–11 को नजरी नक्शे के साथ पेश किया है । विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है । अपर आयुक्त के आदेश से स्प्ष्ट है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतयाः अनदेखा किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की कार्यवाही को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विलंब से रिर्पोट प्रस्तुत करने के कारण सम्यक नहीं मानना भी न्यायसंगत नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा चाहा गया रास्ता ना तो राजस्व अभिलेखों में अंकित है और ना ही नक्शे में अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी अभिलेख के विपरीत है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए जिन शपथपत्रों के आधार पर यह कहा गया है कि अनावेदकगण, आवेदकों के खसरा नं. 548, 549 एवं 550 से होकर ही जाते रहे हैं उन शपथपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनमें शपथकर्ताओं ने यह लेख किया है कि वे अपने खेतों खसरा नं. 25/1, 72 एवं 590 में आवेदकों की भूमि खसरा नं. 548, 549 एवं 550 से होकर जाते हैं किंतु उन्होंने यह लेख नहीं किया कि प्रश्नाधीन नंबरों से होते हुए और किन–किन कृषकों के खेतों से निकलते हैं क्योंकि अभिलेख में जो नक्शा संलग्न है उसके अवलोकन से शपथकर्ताओं के खेत काफी दूर हैं और आवेदक एवं शपथकर्ताओं के खेतों के मध्य अनेक खसरा नंबरों की भूमियां पड़ती हैं । अतः उक्त शपथपत्रों के आधार

पर यह निर्धारित करना कि आवेदकों ने अनावेदकों का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है, त्रुटिपूर्ण है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती नीरज पत्नि रवीन्द्र कुमार अध्वर्यु विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार थी किंतु अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष था और उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह अभिलेख पर आधारित न होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–15 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–12 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर